

पर्यावरण और वन मंत्रालय

मांग संख्या 30

पर्यावरण और वन मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2009-2010			संशोधित 2009-2010			बजट 2010-2011			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व पूंजी जोड़	1858.95	233.55	2092.50	1632.39	380.25	2012.64	2169.07	136.67	2305.74	
	21.05	15.45	36.50	17.61	14.75	32.36	30.93	14.49	45.42	
	1880.00	249.00	2129.00	1650.00	395.00	2045.00	2200.00	151.16	2351.16	
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं वानिकी और वन्यजीवन	3451	...	35.23	35.23	...	38.93	38.93	...	28.44	28.44
2. शिक्षा और प्रशिक्षण										
2.01 राज्य वन रेंजर्स महाविद्यालय	2406	3.35	5.47	8.82	3.65	6.25	9.90	4.39	4.08	8.47
	4406	0.45	...	0.45	0.75	...	0.75
जोड़		3.80	5.47	9.27	4.40	6.25	10.65	4.39	4.08	8.47
2.02 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी	2406	5.51	5.77	11.28	13.29	6.99	20.28	25.00	11.53	36.53
	4406	0.02	...	0.02
जोड़		5.51	5.77	11.28	13.31	6.99	20.30	25.00	11.53	36.53
2.03 भारतीय वन सेवा प्रशिक्षण	2406	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
2.04 भारतीय वानिकी प्रबंध संस्थान	2406	7.00	3.35	10.35	8.00	3.35	11.35	10.00	2.30	12.30
2.05 अन्य सेवा कार्मिक प्रशिक्षण	2406	2.00	...	2.00	1.00	...	1.00
2.06 वानिकी कार्मिक विदेशी प्रशिक्षण	2406	5.00	...	5.00	0.32	...	0.32	1.00	...	1.00
2.07 अन्य पणधारियों का प्रशिक्षण	2406	1.00	...	1.00	0.50	...	0.50
2.08 वन प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण तथा कार्मिक प्रशिक्षण	2406	0.30	...	0.30	34.90	...	34.90
जोड़-शिक्षा और प्रशिक्षण		26.31	14.59	40.90	28.33	16.59	44.92	78.79	17.91	96.70
3. अनुसंधान										
3.01 भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद	2406	84.93	20.00	104.93	104.93	20.00	124.93	85.00	20.00	105.00
3.02 भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान संस्थान	2406	5.14	2.36	7.50	5.56	2.26	7.82	7.00	2.00	9.00
जोड़		90.07	22.36	112.43	110.49	22.26	132.75	92.00	22.00	114.00
4. वन्य संसाधनों का सर्वेक्षण और उपयोग-भारतीय वन सर्वेक्षण	2406	5.60	10.85	16.45	5.87	11.60	17.47	5.74	8.15	13.89
	4406	0.20	...	0.20	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03
जोड़		5.80	10.85	16.65	5.90	11.60	17.50	5.77	8.15	13.92
5. वन संरक्षण, विकास और पुनर्जनन										
5.01 पुनर्जनन-वन प्रभाग का सुदृढीकरण	2406	7.83	...	7.83	10.37	...	10.37	10.50	...	10.50
	4406	3.50	...	3.50	4.03	...	4.03	0.50	...	0.50
जोड़		11.33	...	11.33	14.40	...	14.40	11.00	...	11.00
5.02 वन प्रबन्धन को गहन बनाना	2406	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.19	...	1.19
	3601	54.00	...	54.00	46.00	...	46.00	43.00	...	43.00
	3602	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.01	...	0.01
जोड़		55.20	...	55.20	47.20	...	47.20	44.20	...	44.20
5.03 राष्ट्रीय वानिकी सूचना प्रणाली	2406	0.50	...	0.50	0.33	...	0.33	0.33	...	0.33
5.04 गैर-टिम्बर वन उत्पाद स्रोतों के मूल्यांकन हेतु राष्ट्रीय समन्वित कार्यक्रम	2406	0.50	...	0.50	0.32	...	0.32	0.32	...	0.32
5.05 काष्ठ और गैर काष्ठ वन संसाधनों के लिए प्रमाणन कार्यक्रम	2406	1.50	...	1.50	0.85	...	0.85	0.85	...	0.85
जोड़-वन संरक्षण विकास और पुनर्जनन		69.03	...	69.03	63.10	...	63.10	56.70	...	56.70

सं.30/ पर्यावरण और वन मंत्रालय

मुख्य शीर्ष	(करोड़ रुपए)									
	बजट 2009-2010			संशोधित 2009-2010			बजट 2010-2011			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
6. वन्य जीवन संरक्षण										
6.01 भारतीय वन्य जीव संस्थान	2406	15.21	2.00	17.21	18.01	2.17	20.18	15.50	1.81	17.31
6.02 प्रोजेक्ट टाइगर	2406	1.18	...	1.18	6.00	...	6.00	14.30	...	14.30
	3601	183.65	...	183.65	173.53	...	173.53	139.90	...	139.90
	जोड़	184.83	...	184.83	179.53	...	179.53	154.20	...	154.20
6.03 प्रोजेक्ट एलीफेंट	2406	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
	3601	18.00	...	18.00	18.00	...	18.00	18.00	...	18.00
	जोड़	18.50	...	18.50	18.50	...	18.50	18.50	...	18.50
6.04 केन्द्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण	2406	14.50	...	14.50	14.50	...	14.50	14.35	...	14.35
6.05 वन्य जीव अपराध नियंत्रण	2406	4.08	...	4.08	4.08	...	4.08	6.00	...	6.00
6.06 पशुओं का कल्याण	2406	25.00	1.15	26.15	24.00	1.70	25.70	24.00	1.50	25.50
6.07 जैव-विविधता संरक्षण और ग्रामीण आजीविका सुधार परियोजना (ईएपी)	2406	1.00	...	1.00	0.40	...	0.40	3.00	...	3.00
	3601	2.00	...	2.00
	जोड़	3.00	...	3.00	0.40	...	0.40	3.00	...	3.00
6.08 वन्य जीव निवास का एकीकृत विकास	2406	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50
	3601	71.00	...	71.00	65.00	...	65.00	61.00	...	61.00
	जोड़	72.50	...	72.50	66.50	...	66.50	62.50	...	62.50
जोड़-वन्य जीवन संरक्षण		337.62	3.15	340.77	325.52	3.87	329.39	298.05	3.31	301.36
7. प्राणी विज्ञान उद्यान	2406	0.60	8.91	9.51	0.60	7.78	8.38	0.60	7.86	8.46
	4406	0.40	...	0.40	0.25	...	0.25	0.40	...	0.40
	जोड़	1.00	8.91	9.91	0.85	7.78	8.63	1.00	7.86	8.86
8. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	2406	...	1.60	1.60	...	1.60	1.60	...	1.60	1.60
9. राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी-विकास कार्यक्रम										
9.01 राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी-विकास बोर्ड	2406	19.00	...	19.00	15.50	...	15.50	15.50	...	15.50
9.02 राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम	2406	290.62	...	290.62	253.17	...	253.17	228.00	...	228.00
9.03 अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह वन और बागान विकास निगम	6406	...	11.00	11.00	...	10.45	10.45	...	11.00	11.00
9.04 समुदायों के साथ सामाजिक वानिकी (पंचायत वन योजना)	2406	10.00	...	10.00	20.00	...	20.00
जोड़-राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम		319.62	11.00	330.62	268.67	10.45	279.12	263.50	11.00	274.50
जोड़-वानिकी और वन्य जीवन पारिस्थितिकी और पर्यावरण		849.45	72.46	921.91	802.86	74.15	877.01	795.81	71.83	867.64
10. सर्वेक्षण										
10.01 भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण	3435	10.69	17.13	27.82	17.32	23.60	40.92	20.00	12.85	32.85
	5425	3.50	...	3.50	1.80	...	1.80	3.00	...	3.00
	जोड़	14.19	17.13	31.32	19.12	23.60	42.72	23.00	12.85	35.85
10.02 भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण	3435	12.07	14.30	26.37	21.49	16.28	37.77	23.49	10.75	34.24
	5425	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
	जोड़	14.07	14.30	28.37	23.49	16.28	39.77	25.49	10.75	36.24
कुल-सर्वेक्षण		28.26	31.43	59.69	42.61	39.88	82.49	48.49	23.60	72.09
11. पर्यावरणीय शिक्षा/प्रशिक्षण/विस्तार										
11.01 पर्यावरणीय शिक्षा प्रशिक्षण योजना	3435	50.50	0.04	50.54	40.50	0.04	40.54	44.00	0.04	44.04
11.02 राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय	3435	6.30	2.95	9.25	6.30	1.53	7.83	7.50	2.21	9.71
	5425	11.00	...	11.00	6.73	...	6.73	5.00	...	5.00
	जोड़	17.30	2.95	20.25	13.03	1.53	14.56	12.50	2.21	14.71
जोड़-पर्यावरणीय शिक्षा/प्रशिक्षण/विस्तार		67.80	2.99	70.79	53.53	1.57	55.10	56.50	2.25	58.75
12. संरक्षण कार्यक्रम										
12.01 जैव मंडल प्रारक्षण	3435	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00
	3601	6.50	...	6.50	6.50	...	6.50	6.50	...	6.50
	जोड़	9.50	...	9.50	9.50	...	9.50	9.50	...	9.50
12.02 क्षेत्रीय वानस्पतिक उद्यानों के लिए सहायता	3435	2.20	...	2.20	2.20	...	2.20	2.20	...	2.20

मुख्य शीर्ष	(करोड़ रुपए)									
	बजट 2009-2010			संशोधित 2009-2010			बजट 2010-2011			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
12.03 मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र एवं नमभूमि	3435	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00
	3601	14.50	...	14.50	14.50	...	14.50	14.50	...	14.50
	जोड़	17.50	...	17.50	17.50	...	17.50	17.50	...	17.50
जोड़-संरक्षण कार्यक्रम		29.20	...	29.20	29.20	...	29.20	29.20	...	29.20
13. पर्यावरणीय आयोजना और समन्वय										
13.01 पर्यावरणीय सूचना प्रणाली	3435	6.00	0.76	6.76	6.00	0.75	6.75	7.00	0.61	7.61
13.02 उत्कृष्टता केन्द्र	3435	8.50	1.55	10.05	8.33	1.55	9.88	8.33	1.55	9.88
	जोड़	14.50	2.31	16.81	14.33	2.30	16.63	15.33	2.16	17.49
14. अनुसंधान और पारिस्थितिकीय-पुनर्जनन										
14.01 अनुसंधान और विकास	3435	5.80	...	5.80	5.80	...	5.80	9.60	...	9.60
14.02 जी.बी. पंत हिमालयी पर्यावरण और विकास संस्थान	3435	12.00	...	12.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
14.03 पारिस्थितिकी-विकास बल	3435	10.50	...	10.50	22.50	...	22.50	12.00	...	12.00
	जोड़	28.30	...	28.30	38.30	...	38.30	31.60	...	31.60
15. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	3435	4.28	2.10	6.38	9.81	3.55	13.36	11.81	2.10	13.91
प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण										
16. राष्ट्रीय नदियों के प्रदूषण की रोकथाम										
16.01 राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय	3435	6.33	...	6.33	7.28	...	7.28	6.71	...	6.71
16.02 राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना										
16.02.01 कार्यक्रम घटक	3435	406.00	...	406.00	256.00	...	256.00	622.93	...	622.93
16.02.02 ईएपी घटक	3435	105.00	...	105.00	105.00	...	105.00	50.00	...	50.00
	जोड़	511.00	...	511.00	361.00	...	361.00	672.93	...	672.93
16.03 राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना	3435	45.00	...	45.00	45.00	...	45.00	50.00	...	50.00
	जोड़	562.33	...	562.33	413.28	...	413.28	729.64	...	729.64
17. वायु और जल प्रदूषण की रोकथाम										
17.01 जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण (उपकर)	3435	...	81.80	81.80	...	209.96	209.96	...	250.00	250.00
घटाइए: जल उपकर प्राप्तियों को घटाकर	0045	-250.00	-250.00
	निवल	...	81.80	81.80	...	209.96	209.96
17.02 पर्यावरण प्राधिकरण और पर्यावरण आयोग एवं न्यायाधिकरण की स्थापना	3435	2.80	...	2.80	0.67	...	0.67	1.00	...	1.00
17.03 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	3435	34.50	16.13	50.63	34.50	20.27	54.77	40.00	17.19	57.19
17.04 सामान्य मल-जल शोधन संयंत्रों का संवर्धन	3435	5.02	...	5.02	5.02	...	5.02	5.71	...	5.71
	जोड़	42.32	97.93	140.25	40.19	230.23	270.42	46.71	17.19	63.90
18. प्रभाव मूल्यांकन										
18.01 पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन कार्यक्रम	3435	3.50	0.10	3.60	3.50	0.09	3.59	3.50	0.10	3.60
18.02 स्वच्छ प्रौद्योगिकी का विकास और संवर्धन	3435	3.05	...	3.05	3.05	...	3.05	3.05	...	3.05
	जोड़	6.55	0.10	6.65	6.55	0.09	6.64	6.55	0.10	6.65
जोड़-प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण		611.20	98.03	709.23	460.02	230.32	690.34	782.90	17.29	800.19
19. अन्य कार्यक्रम										
19.01 प्रदूषण का शमन	3435	5.50	...	5.50	5.50	...	5.50	6.50	...	6.50
19.02 धरोहर में पर्यावरणीय प्रबन्ध, ताज संरक्षण मिशन सहित तीर्थ यात्रा और पर्यटन केन्द्र	3601	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01

(करोड़ रुपए)

मुख्य शीर्ष	बजट 2009-2010			संशोधित 2009-2010			बजट 2010-2011			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
19.03 खतरनाक पदार्थ प्रबंध										
19.03.01 कार्यक्रम घटक	3435	7.50	...	7.50	7.50	...	7.50	7.50	...	7.50
19.03.02 ईएपी घटक	3435	10.00	...	10.00	0.25	...	0.25	25.00	...	25.00
जोड़		17.50	...	17.50	7.75	...	7.75	32.50	...	32.50
19.04 प्राकृतिक संसाधन प्रबंध	3435	4.00	...	4.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00
19.05 भारत सरकार-संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम-पर्यावरण समर्थन कार्यक्रम (ईएपी)	3435	7.47	...	7.47	5.97	...	5.97	3.82	...	3.82
19.06 टैक्सोनोमी-क्षमता निर्माण परियोजना	3435	2.75	...	2.75	2.75	...	2.75	2.75	...	2.75
19.07 जैव विविधता संरक्षण										
19.07.01 कार्यक्रम घटक	3435	3.50	...	3.50	3.85	...	3.85	4.00	...	4.00
19.07.02 ईएपी घटक	3435	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
जोड़		4.00	...	4.00	3.85	...	3.85	4.50	...	4.50
19.08 सूचना प्रौद्योगिकी	3435	9.02	...	9.02	3.52	...	3.52	5.00	...	5.00
19.09 जलवायु परिवर्तन परियोजना	3435	7.25	...	7.25	6.20	...	6.20	7.00	...	7.00
19.10 सिविल निर्माण एकक	5425	...	4.45	4.45	2.00	4.30	6.30	20.00	3.49	23.49
19.11 पर्यावरणीय आयोजना एवं समन्वय संगठन (ई.पी.सी.ओ.)- मध्य प्रदेश का संगठनात्मक सुदृढीकरण एवं रिपोजिशनिंग तथा नागालैण्ड में प्राकृतिक संसाधन प्रबंध एवं कृषक आजीविका सुदृढीकरण	3601	0.01	...	0.01
19.12 राष्ट्रीय तटीय प्रबंध कार्यक्रम										
19.12.01 कार्यक्रम घटक	3435	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25
19.12.02 ईएपी घटक	3435	15.25	...	15.25	5.25	...	5.25	150.00	...	150.00
जोड़		15.50	...	15.50	5.50	...	5.50	150.00	...	150.00
जोड़-अन्य कार्यक्रम		73.01	4.45	77.46	46.04	4.30	50.34	235.08	3.49	238.57
जोड़-पारिस्थितिकी और पर्यावरण		856.55	141.31	997.86	693.84	281.92	975.76	1210.91	50.89	1261.80
20. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	174.00	...	174.00	153.30	...	153.30	193.28	...	193.28
कुल जोड़		1880.00	249.00	2129.00	1650.00	395.00	2045.00	2200.00	151.16	2351.16
ग. योजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. वानिकी और वन्य जीवन	12406	849.45	...	849.45	802.86	...	802.86	795.81	...	795.81
2. पारिस्थितिकी और पर्यावरण	13435	856.55	...	856.55	693.84	...	693.84	1210.91	...	1210.91
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	174.00	...	174.00	153.30	...	153.30	193.28	...	193.28
जोड़		1880.00	...	1880.00	1650.00	...	1650.00	2200.00	...	2200.00

1. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं : पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान है।

2. शिक्षा एवं प्रशिक्षण :

2.01 राज्य वन रेंजर कॉलेज : देहरादून, बर्नोहाट और कोयम्बतूर में स्थित तीन राज्य वन सेवा कालेज हैं। यह कालेज राज्य वन सेवा अधिकारियों के लिए दो वर्ष का पाठ्यक्रम चलाते हैं।

रेंजर्स कालेज : रेंजर्स कॉलेज कुर्सियांग (पश्चिम बंगाल) में स्थित है। यह कॉलेज राज्य वन विभागों के रेंज अफसरों को प्रशिक्षण प्रदान करता है।

2.02 इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून: यह अकादमी देहरादून स्थित भारतीय वन कॉलेज का दर्जा बढ़ाकर और इसे वन अनुसंधान संस्थान से अलग करके 25.5.1987 को बनाई गई थी। यह अकादमी भारतीय वन सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी है।

2.03 भारतीय वन सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षण: इस स्कीम के अंतर्गत भारतीय वन सेवा अधिकारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है।

2.04 भारतीय वन प्रबंधन संस्थान: छठी योजना के दौरान इस संस्थान की स्थापना व्यापक वनरोपण एवं विशेष वन कार्यक्रम सहित वन आधारित

सं.30/ पर्यावरण और वन मंत्रालय

उत्पादों के समय-समय पर संरक्षण, अधिकतम उपयोगिता और उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए प्रबंधकीय कुशलता एवं विशेषज्ञता का विकास करने के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी।

3. अनुसंधान : निम्नलिखित के संबंध में प्रावधान है:

3.01 भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद: इसकी स्थापना विद्यमान वन क्षेत्र के संरक्षण और वनों की उत्पादकता को बढ़ाने के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई थी। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद को 1.6.1991 से स्वायत्तता प्रदान की गई थी। वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून अनुसंधान का उत्कृष्ट केन्द्र है। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रों की अनुसंधान आवश्यकताओं की देखभाल के लिए देश के विभिन्न पारि-भूगोलीय क्षेत्रों में आई सी एफ आर ई के अंतर्गत निम्नलिखित पांच संस्थान हैं :-

- काष्ठविज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर
- वन आनुवांशिकी एवं वृक्षरोपण संस्थान, कोयम्बटूर
- पर्णपाती वन संस्थान, जबलपुर
- शुष्क क्षेत्र वानिकी अनुसंधान संस्थान, जोधपुर
- वर्षा एवं आर्द्र पर्णपाती वन अनुसंधान संस्थान, जोरहाट।

3.02 भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान संस्थान, बंगलौर: इसकी स्थापना प्लाईवुड उद्योग और भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से 1983 में की गई थी।

4. वन संसाधनों का सर्वेक्षण और उपयोग: भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून नियमित अंतराल पर वन संसाधनों का व्यापक सर्वेक्षण करता है और वैज्ञानिक वानिकी आयोजना को सुसाध्य बनाने के लिए पुनः सूची बनाकर मूल्यांकन करने सहित राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर आयोजना के लिए सूचना प्रस्तुत करता है।

5. वन संरक्षण, विकास एवं पुनरुद्धार: यह वनों की अंधाधुंध कटाई और वन भूमि के गैर - वानिकी उपयोग को रोकने के लिए वनों की कारगर सुरक्षा के लिए वन सुरक्षा बलों के सुदृढीकरण, चराई पर नियंत्रण, मुख्य ईंधन के रूप में जलावन लकड़ी पर प्रतिबंध और इसके लिए वैकल्पिक ईंधन की आपूर्ति करने एक मौजूदा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य स्कीम वन प्रबन्ध को सुव्यवस्थित करने से संबंधित है।

6. वन्यजीव संरक्षण

6.01 भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून: यह संस्थान सेवारत अधिकारियों को प्रशिक्षण एवं निरन्तर शिक्षा प्रदान करता है और वन्यजीव में दो वर्ष का एम. एस. सी. पाठ्यक्रम भी आयोजित करता है।

6.02 से 6.05 प्रोजेक्ट टाइगर एवं अन्य परियोजनाएं: वन्यजीव संरक्षण के लिए कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें " बाघ परियोजना " "हाथी परियोजना" और "वन्य जीव वास का एकीकृत विकास" है। स्कीमों का उद्देश्य न केवल वन्यजीव की खतरे में पड़ी प्रजातियों बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा करना है। अंतिम दो योजनाओं का उद्देश्य स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना और वन परियोजनाओं पर उनकी निर्भरता को कम करना भी है। स्कीमों का उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारणों से सटे क्षेत्रों में आयोजना के द्वारा विभिन्न भोगाधिकारों की आपूर्ति बढ़ाना भी है।

6.06 पशु कल्याण: इस स्कीम के अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्यों में शैल्टर हाऊस का निर्माण, पशु जन्म नियंत्रण, प्रतिरक्षण, आपातकालीन वाहन सेवा और राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान की स्थापना करना है। स्कीम का कार्यान्वयन भारतीय पशु कल्याण बोर्ड को हस्तांतरित कर दिया गया है।

6.07 जैव विविधता संरक्षण और ग्रामीण जीविका सुधार परियोजना: जैव विविधता के संरक्षण, इसके सतत उपयोग और जैव संसाधनों के उपयोग और ज्ञान से होने वाले लाभों की उचित और बराबर हिस्सेदारी से संबंधित मामलों को जैव विविधता संरक्षण स्कीम के अंतर्गत निपटाया जाता है।

9.01. राष्ट्रीय वनरोपण एवं पारि-विकास बोर्ड: राष्ट्रीय वनरोपण एवं पारि-विकास बोर्ड को अगस्त, 1992 में स्थापित किया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य देश में वनरोपण, वृक्षारोपण, पारि-पुनरुद्धार और पारि-विकास को बढ़ावा देना है अवक्रमित वन क्षेत्रों और वन क्षेत्रों से सटी भूमि राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारणों और अन्य सुरक्षित क्षेत्रों और साथ ही पश्चिमी हिमालय, अरावली, पश्चिमी घाटों आदि जैसे परिस्थिति की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों के पुनरुद्धार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय वनरोपण स्कीम एक मुख्य स्कीम है। यू एन सी सी डी और सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का कार्यान्वयन राष्ट्रीय वनरोपण एवं पारि-विकास बोर्ड में शामिल है।

10. सर्वेक्षण:

10.01 भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण: भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण जिसका मुख्यालय कोलकाता में है, निम्नलिखित कार्य करता है : (क) देश के समग्र पौध संसाधनों का सर्वेक्षण करना, (ख) देश की समग्र वनस्पति का संपूर्ण वर्गीकी अध्ययन, (ग) खतरे में पड़ी सभी प्रजातियों की सूची बनाना और उनके कारगर संरक्षण के लिए उपाय करना, (घ) आर्थिक रूप से और अन्य रूप में मानव के लिए उपयोगी पौधे की प्रजातियों का अभिनिर्धारण, संग्रहण एवं संरक्षण करना।

10.02 भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण: भारतीय प्राणि सर्वेक्षण, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है, वर्गीकरण जीवविज्ञान, जन्तु पारिस्थितिकी, समुद्री प्राणी सहित जन्तुओं के विभिन्न समूहों के प्राणि-विज्ञान के क्षेत्र में प्राण विज्ञान संबंधी सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्य के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्य उद्देश्य (क) वानस्पतिक संसाधनों की खोज एवं सर्वेक्षण (ख) वर्गीकी अध्ययन (ग) खतरे में पड़ी प्रजातियों का स्थिति सर्वेक्षण करना है।

11. पर्यावरणीय शिक्षा/प्रशिक्षण/विस्तार

11.01 पर्यावरण शिक्षा प्रशिक्षण स्कीम: मंत्रालय प्रदर्शनों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि के माध्यम से देश के लगभग सभी आयु समूहों के लोगों को पर्यावरणीय शिक्षा देने को प्राथमिकता देता है। मंत्रालय प्राथमिक एवं सेकेण्डरी स्कूल के स्तर पर और महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अनौपचारिक शिक्षा देते हुए पर्यावरणीय शिक्षा को बढ़ावा दे रहा है। स्कीम के अन्तर्गत मुख्य कार्य इस प्रकार हैं: (क) राष्ट्रीय पर्यावरणीय जागरूकता अभियान (ख) इको-क्लब (राष्ट्रीय हरित कोर) और (ग) जन जागरूकता।

11.02 राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय: मंत्रालय के अंतर्गत गठित एक केन्द्र है जो पारिस्थितिकी, वन्यजीव एवं पर्यावरणीय संरक्षण के क्षेत्र में स्कूली बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की जरूरत के बारे में देश में जागरूकता लाना एवं उसे बढ़ावा देना है।

12. संरक्षण कार्यक्रम : कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य स्कीम नमभूमि एवं कच्छ वनस्पति, जीवमंडल रिजर्व का संरक्षण एवं प्रबंधन और क्षेत्रीय वानस्पतिक उद्यानों को सहायता करना है।

13. पर्यावरणीय योजना एवं समन्वय: इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य स्कीमें पर्यावरणीय सूचना प्रणाली और उत्कृष्टता केन्द्र हैं। पर्यावरणीय सूचना प्रणाली के अंतर्गत 76 विषयों पर विशिष्ट एनविस केन्द्र के नेटवर्क के माध्यम से अधिकाधिक प्रयोक्ताओं के लिए पर्यावरणीय सूचना का संग्रहण, समाकलन एवं प्रसार किया जाता है।

14. अनुसंधान एवं पारिस्थितिकी पुनरुद्धार: इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न संगठनों द्वारा शुरु की गई अनुसंधान परियोजनाओं को मंत्रालय द्वारा सहायता दी जाती है। मंत्रालय पारिस्थितिकी विकास, क्षतिग्रस्त पारि-तंत्र का पुनरुद्धार और अवक्रमित क्षेत्रों के पारि पुनरुद्धार में विश्वविद्यालयों, वैज्ञानिक संस्थानों एवं स्वैच्छिक संगठनों की अधिकाधिक सक्रिय भागीदारी पर जोर देता है।

15. अन्तरराष्ट्रीय सहयोग: इसमें पर्यावरणीय अनुसंधान एवं पारि-पुनरुद्धार के विकास में संलग्न यू एन ओ और अन्य अन्तरराष्ट्रीय संगठनों को अंशदान देने का तथा कार्य शालाओं/ विचार गोष्ठियों के लिए प्रावधान है।

16. राष्ट्रीय नदियों और झीलों का प्रदूषण निवारण: "गंगा नदी का प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण" संबंधी पूर्ववर्ती स्कीम के कार्यक्षेत्र में विस्तार करके इसमें सभी राष्ट्रीय नदियों और झीलों को शामिल कर दिया गया है। राष्ट्रीय नदियों के प्रदूषित भागों की सफाई एवं इसके कार्यान्वयन की देखरेख के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है। मुख्य कार्यक्रम दिशा परिवर्तन, सीवर की सफाई एवं पंपिंग सेटों के पुनरुद्धार से संबंधित हैं। शुरु की जाने वाली प्रस्तावित स्कीमें हैं (i) नदियों में गिरने वाले गंदे जल का अवरोधन एवं दिशा-परिवर्तन (ii) जैव ऊर्जा जैसे संसाधनों के साथ गंदे जल का शोधन (iii) कम लागत पर सफाई, जैविक संरक्षण आदि जैसे अन्य सफाई संबंधी उपाय। नदी संरक्षण कार्यनीति की सुव्यवस्था करने तथा नदी घाटी की आयोजना के संबंध में एक सम्पूर्ण तथा समेकित दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। गंगा नदी के लिए एक सशक्त आयोजना, वित्तपोषण तथा मानीटरिंग तथा समन्वयकारी प्राधिकरण के तौर पर राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण (एनजीआरवीए) की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत 42 शहरी झीलों का आगे और अधिक अवक्रमण रोकने के लिए संरक्षण हेतु अभिनिर्धारण किया गया है।

17. वायु एवं जल प्रदूषण का निवारण: प्रावधान में (1) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अनुदान; राज्य सरकारों/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सहायता; और संबंधित स्कीमों का वित्त पोषण शामिल है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 1974 में स्थापना की गई थी। बोर्ड वायु प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए भी जिम्मेदार है। प्रावधान में सामूहिक बहिष्कार शोधन संयंत्रों के संवर्धन के लिए दिया गया अनुदान शामिल है। दसवीं योजना के दौरान यथा पर्यावरणीय ऑडिट पर्यावरणीय सांख्यिकी एवं मानचित्रण और लघु उद्योगों द्वारा स्वच्छ प्रौद्योगिकी आदि स्कीमों का निवारक कार्यनीतियों के माध्यम से औद्योगिक प्रदूषण उपशमन के रूप में विलयन कर दिया गया था।

18. प्रभाव मूल्यांकन: इस कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य स्कीमों पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन और विकास तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकी संवर्धन हैं। पर्यावरणीय मूल्यांकन प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण करने से संबंधित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अधिसूचना 2006 के उपबंधों के अनुसार 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणों (एसईआईए)/राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों (एसईएसी) का गठन किया गया है। इसके अलावा, ईआईए प्रक्रिया को सुचारु बनाने के लिए दिसम्बर, 2009 में ईआईए अधिसूचना में संशोधन किया गया। विकासात्मक परियोजना की 44 श्रेणियों के लिए पर्यावरणीय मंजूरी को अनिवार्य बनाया गया है। 1991 में तटीय विनियम क्षेत्र संबंधी अधिसूचना के उपरांत संवेदी क्षेत्रों के संरक्षण के लिए देश के तटीय क्षेत्रों में विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं।

18.01 व 02 पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन और संशोधित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया में क्षमता निर्माण: उद्देश्य निम्नानुसार है i) संशोधित ईसी प्रक्रिया के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केन्द्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्तर पर क्षमता निर्माण (ii) ईएमसीबी परियोजना के रूप में अनुवीक्षण तंत्र का सुदृढीकरण (iii) कान्सिल इंडिया के माध्यम से ईआईए परामर्शकों को बढ़ावा देना।

19. अन्य कार्यक्रम: इन स्कीमों जैसे ताजमहल संरक्षण सहित प्रदूषण उपशमन हेतु सहायता और खतरनाक पदार्थ प्रबंधन आदि का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकारों, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, केन्द्र/राज्य अनुसंधान संस्थान और अन्य सरकारी एजेंसियों/संगठनों को उनकी तकनीकी क्षमताओं को सुदृढ बनाने के उद्देश्य से सहायता करना है।

19.05 भारत सरकार - संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम पर्यावरण सहायता कार्यक्रम: यह पर्यावरण क्षेत्र में राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम को सहायता देने के लिए है और यह विकेन्द्रीकरण और जनभागीदारी पर सकेन्द्रित है।

19.06 वर्गिकी क्षमता निर्माण परियोजना: वर्गिकी कार्य में अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्रों और अंतरालों की पहचान कर लिए जाने के पश्चात वर्गिकी में क्षमता निर्माण के लिए अखिल भारतीय समन्वित परियोजना तैयार की गई है।

19.12 राष्ट्रीय तटीय प्रबंधन कार्यक्रम: वर्तमान तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 1991 को युक्तिसंगत बनाने के लिए मंत्रालय ने प्रो. एम.एस.स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी। समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना 1994 को स्वामीनाथन समिति को सिफारिशों के अनुरूप पुनः व्यवस्थित किया जाए। इस प्रयोजन के लिए, एक प्रारूप तटीय प्रबंधन क्षेत्र अधिसूचना जारी की गई है और जनता के विचार प्राप्त किए जा रहे हैं। इस स्कीम के तहत प्रस्तावित कार्य इस प्रकार हैं: (क) तटीय पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण, (ख) तटीय क्षेत्रों के समीप रहने वाले स्थानीय समुदायों की सुरक्षा और आजीविका की सुरक्षा, (ग) तटीय क्षेत्रों के साथ सतत विकास को बढ़ावा देना, (घ) भूमि आधारित कार्यों से होने वाले प्रदूषण के कारण तटीय पर्यावरण को बिगाड़ने से रोकने के लिए उपाय।

20. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम की परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान: पर्यावरण और वन क्षेत्र में स्कीमों के लिए 193.28 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।